न्यायालय : अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, शेखपुरा।
उपस्थितिः– प्र0–सतीश कुमार झा
जमानत आवेदन सं0–254 / 2026
सिरारी थाना कांड सं0–20 / 26
बिहार राज्य बनाम् रंजीत कुमार यादव।

रंजीत कुमार यादव, पे0–स्व0 कामेश्वर यादव,
साकिन–एकसारी, थाना–शेखपुरा, जिला–शेखपुरा। ....आवेदक।

<u>वनाम</u>

बिहार सरकार .... विपक्षी।

आवेदक की ओर से : श्री आशीष कुमार, विद्वान अधिवक्ता।

विपक्षी की ओर से : श्री अरविंद कुमार, विद्वान विशेष लोक अभियोजक।

<u>आ दे श</u>

09.04.2026 काराधीन अभियुक्त रंजीत कुमार यादव की ओर से नियमित जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जो कि दिनांक 27.02.2026 से काराधीन है। सिरारी थाना कांड सं0–20 / 26 के अंतर्गत 30(a), 32 Bihar Prohibition & Excise (Amendment) Act 2018 से उद्भूत है तथा इसी न्यायालय में लम्बित है, सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। उक्त जमानत आवेदन को आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा संचालित किया गया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि ये पूर्णतया निर्दोष हैं। इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, बल्कि इन्हें इस वाद में झूठा फंसाया गया है। आवेदक के द्वारा पूर्व में इसके अलावा अन्य कोई नियमित या अग्रिम जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में इस केस के अलावा अन्य केस 1. उत्पाद थाना कांड संख्या–121 / 2023 एवं 2. उत्पाद थाना कांड संख्या–668 / 2023 धारा 37 Excise Act, का आपराधिक इतिहास दर्ज है, जिसमें न्यायालय द्वारा जमानत पर मुक्त है। प्राथमिकी धारा 30(a), 32 Bihar Prohibition & Excise (Amendment) Act 2018 के अंतर्गत दर्ज किया गया है। आवेदक के कब्जे से 32.5 लीटर देशी शराब बरामद होने की बात कही गयी जो बिल्कुल ही झूठा है, आवेदक के कब्जे से कोई भी देशी शराब बरामद नहीं हुआ है। पुलिस के द्वारा किसी दिगर स्थान से प्राप्त देशी शराब को आवेदक के कब्जे से बरामद होने की बात कही गयी है और पुलिस के द्वारा आवेदक से पूछताछ करने के क्रम में गिरफ्तार कर लिया गया है। आवेदक देशी शराब रखने या बेचने का कार्य नहीं करता है। आवेदक एक गरीब व्यक्ति है जो मेहनत मजदूरी कर अपना तथा अपने परिवार का भरण पोषण करता है। आवेदक को जमानत की सुविधा प्रदान किए जाने के उपरान्त फरार होने की कोई संभावना नहीं है। श्रीमान के आदेश से उचित राशि का बंध पत्र देने को तैयार है। आवेदक दिनांक 27.02.2026 से काराधीन है। अतः इनको जमानत की सुविधा प्रदान की जाय।

न्यायालय : अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, शेखपुरा।
उपस्थितिः– प्र0–सतीश कुमार झा
जमानत आवेदन सं0–254 / 2026
सिरारी थाना कांड सं0–20 / 26
बिहार राज्य बनाम् रंजीत कुमार यादव।

लगातार

09.04.2026 इसके विपरीत, विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा उक्त जमानत का विरोध किया गया। अतः उपरोक्त अभियुक्त को जमानत आवेदन खारिज किया जाए।

उभयपक्षों को सुना। अभियोजन का मामला संक्षेप में है कि सिरारी थाना दिनांक 26.02.2026 को समय करीब 17:00 बजे संध्या गश्ती, वाहन चेकिंग एवं अवैध शराब के विरूद्ध छापामारी में सशस्त्र बल के साथ थाना से प्रस्थान कर थानाक्षेत्र में भ्रमणशील थे तथा भदौस मोड पर वाहन चेकिंग कर रहे थे कि उसी दौरान समय करीब 19:20 बजे एक व्यक्ति जो कि मोटरसाईकिल से भदौस की तरफ से आ रहा था, पुलिस को वाहन चेकिंग करते देख अपना मोटरसाईकिल घबड़ाते हुए घुमाकर भागने लगा। संदेह के आधार पर साथ के सशस्त्र बल के सहयोग से पकड़ लिया गया। पकड़ाये व्यक्ति से नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम रंजीत कुमार यादव, पे0–स्व0 कामेश्वर यादव, साकिन–एकसारी, थाना–शेखपुरा, जिला–शेखपुरा बताया। तत्पश्चात विधिवत नियमों का पालन करते हुए पकड़ाये व्यक्ति रंजीत कुमार यादव एवं उनके मोटरसाईकिल का तलाशी लेने पर तलाशी लेना प्रारंभ किया तो रंजीत कुमार यादव के पास से एक मोटरसाईकिल तथा उस पर लदे बोरा में भरकर रखा कुल 13 बोतल (प्रत्येक बोतल की क्षमता 02.500 लीटर) करीब कुल करीब 32.500 लीटर चुलाई शराब तथा एक स्पलेन्डर मोटरसाईकिल बरामद हुआ। बरामद मोटरसाईकिल का रजि0 नं0–BR52D7118, चेचीस नं0–MBLHAW215 PHE20800 अंकित पाया गया। विधिवत नियमों का पालन करते हुए बरामद प्रदर्श को जप्ती सूची तैयार कर जप्त किया गया एवं गिरफ्तारी मेमो बनाकर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से यह विदित होता है कि प्राथमिकी धारा 30(a), 32 Bihar Prohibition & Excise (Amendment) Act 2018 के अंतर्गत दर्ज किया गया। अभियुक्त इस वाद में दिनांक 27.02.2026 से काराधीन है। घटनास्थल से 32.500 लीटर देशी चुलाई शराब बरामद किया गया है। जमानत आवेदन के पारा तीन के अनुसार अभियुक्ता के विरूद्ध पूर्व में 1. उत्पाद थाना कांड संख्या–121 / 2023 एवं 2. उत्पाद थाना कांड संख्या–668 / 2023 धारा 37 Excise Act, का आपराधिक इतिहास दर्ज है, जिसमें न्यायालय द्वारा जमानत पर मुक्त है। इनके विरूद्ध अनुसंधान जारी है।

न्यायालय : अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, शेखपुरा।
उपस्थितिः— प्र0—सतीश कुमार झा
जमानत आवेदन सं0—254 / 2026
सिरारी थाना कांड सं0—20 / 26
बिहार राज्य बनाम् रंजीत कुमार यादव।

लगातार

09.04.2026 अतः उक्त सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए आवेदक को जमानत की सुविधा प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। इसलिए आवेदक की ओर से दाखिल उक्त जमानत आवेदन को स्वीकार करते हुए आवेदक की ओर से दस हजार रूपये के जमानत बंधपत्र एवं उसी समान राशि के दो प्रतिभू न्यायालय में दाखिल करने पर जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है। साथ ही अभियुक्त को निर्देश दिया जाता है कि एक जमानतदार सगे—संबंधी होंगे तथा इस आशय का शपथ पत्र के साथ अंडरटेकिंग दाखिल करेंगे कि——

1. इस तरह की घटना में दुबारा सम्मिलित नहीं होंगे।
2. आवेदक आरोप गठन तक प्रत्येक तिथि को न्यायालय में उपस्थित रहेंगे,
3. आवेदक के विरूद्ध आपराधिक इतिहास पाये जाने पर इनका बंधपत्र स्वयं खंडित माना जाएगा।
4. अभियुक्त द्वारा न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने पर अभियोजन आग्रहनुसार इनका बंधपत्र खंडित कर दिया जाएगा।

लेखापित

प्र0— अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश,
शेखपुरा।
दिनांक 09—04—2026.

Date of Judgment/ Order	09—04—2026
Date of Reserving Judgment/Order	09—04—2026
Uploading Date	10—04—2026
Uploaded by	Naveen Kumar Chaudhary.